राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09/2025

पंजीकरण कमांक :– 2025/24

बउनवान

पुष्करराज आयु 51 वर्ष पुत्र श्री रामप्रसाद जाति धाकड निवासी गोविन्दपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बाराॅ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद जिला बाराॅ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 09.06.2025

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 385/2025 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2025 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम गोविन्दपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2081 मे खसरा नम्बर 120 की रकबा 0.16 बीघा भूमि पर फसल लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 05.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है तथा न कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] भी नही लिये केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानो को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब करने मे भारी कानूनी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे अपीलांट द्वारा तवान राशि भी जमा करवा दी गई है और विवादित आराजी से कब्जा भी छोड दिया है। उक्त भूमि वर्तमान मे खाली पडी हुई है। इस बाबत हल्का पटवारी श्री दीपक कुशवाह पटवार मण्डल पछाड तहसील छीपाबडौद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 18.04.2025 भी पत्रावली मे संलग्न है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अतिक्रमी के नाम नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा सम्वत् 2081 में अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अतिक्रमित रकबा कम होने से अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलांट अनपढ एवं गरीब व्यक्ति है जिसे नियमों की जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये और अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 385/2025 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (01 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम गोविन्दपुरा की किस्म चारागाह सम्वत् 2081 मे खसरा नम्बर 120 रकबा 0.16 बीघा भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छीपाबडौद के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा। प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबडौद आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच करवाये। यदि उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना नहीं पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 385/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2025 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **09.06.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:21 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ